प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला:— ए.सी.बी. एस.यू. कोटा थाना :— प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या 236/22 दिनांक 14/6/2022
2. (A) 'अधिनियम—पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 धारायें— 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
   (B) 'अधिनियम — .... 'धारायें — ....
   (C) 'अधिनियम..'धारायें..
   (D) 'अन्य अधिनियम धारायें..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 262 समय 6:50 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन :— सोमवार दिनांक :— 13.06.2022 समय :—02:40 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 09.06.2022 समय : 09:10 एएम
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक — लिखित (हस्तलिखित)
5. घटना स्थल:—
   (अ) पुलिस थाना/चौकी से दिशा व दूरी:— बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 40 कि.मी.
   (ब) पता :— श्रीकृष्णा बेकरी एवं जूस सेन्टर, कृषि उपज मण्डी के सामने, कोटा—सुल्तानपुर रोड़, सुल्तानपुर जिला कोटा
   जरायम देही संख्या......................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना — सुल्तानपुर जिला — कोटा ग्रामीण
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :—
   (अ) नाम:— श्री केशव शर्मा
   (ब) पिता का नाम — श्री मधुसुदन शर्मा
   (स) जन्म तिथी/ उम्र :— 38 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :— भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या..जारी होने की तिथी......
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय— ठेकेदार
   (ल) पता — कस्बा सुल्तानपुर, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा ग्रामीण, कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—
   श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापति जाति कुम्हार उम्र 27 साल निवासी झोटोली रोड़, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा हाल पार्षद वार्ड संख्या 01, श्रीराम नगर, नगर पालिका सुल्तानपुर, कोटा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:—............................ शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य. :— 50,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.06..2022 को समय 09:10 एएम पर मोबाईल नम्बर 9001143412 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया व बताया कि "मैं विनीत शर्मा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त केशव शर्मा नगर पालिका सुल्तानपुर में ठेकेदारी का काम करता है, जिससे सुल्तानपुर का वार्ड पार्षद शिवा प्रजापत उसके कार्यों को करने देने एवं परेशान नही करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा केशव शर्मा से उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो केशव शर्मा द्वारा उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मुझे अभी साढ़े दस ग्यारह बजे ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात करने बुला रहा है। यदि मैं कोटा आया तो शिवा प्रजापत पार्षद को शक हो सकता है। अतः आप जल्दी कार्यवाही करवाने की कृपा करें।" इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा को बताया कि मैं मेरे कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर श्री अभिषेक कानि. को आपके पास रवाना कर रहा हूँ। परिवादीगण को गोपनीयता बनाये रखने हेतु समझाईश की गई। समय 09:45 एएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 को कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया गया। परिवादीगण व उनकी शिकायत के सम्बन्ध में कानि. को अवगत करवाया। परिवादीगण के

मोबाईल नम्बर श्री अभिषेक कानि. को देकर निर्देशित किया कि आप सुल्तानपुर पहुंचकर परिवादीगण से सम्पर्क करें तथा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के निर्देश देकर कस्बा सुल्तानपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। हालात जरिये दुरभाष श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। समय 01:20 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 मय परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। श्री अभिषेक कानि. 197 ने डिजीटल वॉईस रिकार्डर व परिवादी श्री केशव शर्मा द्वारा उसे पेशशुदा प्रार्थना पत्र मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश कर बताया कि "मैं कार्यालय से रवाना होकर करीब 10:45 एएम पर सुल्तानपुर गोपनीय स्थान पर पहुंचा। परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर पर वार्ता की। परिवादी श्री केशव शर्मा मय सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा थोड़ी देर में मेरे पास आये। परिवादी ने सुल्तानपुर में नगर पालिका के वार्ड पार्षद शिवा प्रजापत द्वारा परेशान नहीं करने व परिवादी के कार्यों को करने देने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मैने मेरे पास रखकर हालात जरिये दूरभाष आपको निवेदन किये। तद्परान्त निर्देशानुसार डिजीटल वॉईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया भली भांति समझाई गई। समय 11:15 एएम पर परिवादी श्री केशव शर्मा को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादीगण को आरोपी श्री शिवा प्रजापत के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करने हेतु सुल्तानपुर स्टेडियम के पास तलाव की पाल रवाना किया गया। मैं तलाव की पाल से कुछ दुरी पहले ही रूक गया था। करीब आधा घण्टा बाद परिवादीगण मेरे पास वापस आये। परिवादी ने बताया कि हमारी पार्षद शिवा प्रजापत से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है, उसने मेरे कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने व परेशान नहीं करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, फिर हमारे द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर दस हजार रूपये कम लेने हेतु राजी हुआ है। हमारे बीच जो वार्ता हुई है, वह आपके सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। वार्ता के बाद आरोपी पार्षद के चले जाने पर मैने डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द कर लिया था। इस पर मैं परिवादीगण को साथ लेकर सुल्तानपुर से रवाना हो उपस्थित आया हूँ।" परिवादी श्री केशव शर्मा द्वारा सुल्तानपुर में कानि. के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित है कि "मैं केशव शर्मा पुत्र श्री मधुसुदन शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 38 साल निवासी सुल्तानपुर जिला कोटा हूँ। मैं नगर पालिका सुल्तानपुर में ठेकेदारी का काम करता हूँ। सुल्तानपुर में शमशान रोड़ व खाड़ी का सेफ्टी वाल का निर्माण कार्य का टेण्डर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ठेकेदार के नाम पर है। किन्तु इस कार्यों को मैं ही कर रहा हूँ। श्रीराम नगर सुल्तानपुर का वार्ड पार्षद शिवा प्रजापति मुझसे मेरे कार्यों को करने देने एवं परेशान नहीं करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर काम बन्द करवाने एवं मेरे बिल अटकवाने की धमकी देता है। मैं मेरे सही कार्य के बदले पार्षद शिवा प्रजापति को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी शिवा प्रजापति से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उधारी बाकी है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें।" प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी से दरयाफ्त किया गया तो उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी ने स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि "शिवा प्रजापति मेरे ठेकेदारी के कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने, परेशान नहीं करने एवं कार्यों के बिल नहीं अटकाने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसके सम्बन्ध में आपको जरिये मोबाईल सूचित किया। तद्परान्त श्री अभिषेक कानि. मेरे व मेरे साथी श्री विनीत शर्मा के पास आपके कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर सुल्तानपुर पहुंचे। श्री अभिषेक शर्मा कानि. ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकार्ड को चलाने व बन्द करने का तरीका बताया। फिर डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करके मुझे व मेरे साथी को शिवा प्रजापति वार्ड पार्षद के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध मे सत्यापन वार्ता हेतु स्टेडियम के पास तलाव की पाल पर रवाना किया। श्री अभिषेक कानि. तलाव की पाल से थोड़ा पहले ही रूक गये थे। मैं व श्री विनीत शर्मा तलाव की पाल के रस्ते में पहुंचे तो वहीं पास स्थित आरोपी शिवा प्रजापत के निवास से शिवा प्रजापत रोड़ पर आया तथा हमारे साथ कार में बैठ गया।. फिर तलाव की पाल पर पहुंचकर हमारे कार्यों के सम्बन्ध में शिवा प्रजापति से बात की तो उसने मेरे कार्यों को निर्बाध चलने देने व परेशान नहीं करने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग की। फिर हमारे निवेदन करने पर दस हजार रूपये कम लेने हेतु सहमत हुआ तथा रिश्वत राशि 90,000 रूपये सोमवार दिनांक 13.06.2022 को देने के लिए कहा है। शिवा प्रजापति से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता होने के बाद मैं व श्री विनीत शर्मा वहां से रवाना होकर श्री अभिषेक कानि. के पास पहुंचे। मैनें डिजीटल वॉईस

रिकार्डर रास्ते में बन्द कर लिया था तथा अभिषेक कानि. को दे दिया था। उसके बाद हम तीनों रवाना होकर आपके कार्यालय में आपके पास आये हैं। श्री अभिषेक कानि. ने मेरे द्वारा उनको प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजीटल वॉईस रिकार्डर आपको पेश कर दिया है।" मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो परिवादी श्री केशव शर्मा व श्री अभिषेक कानि. के कथनों की ताईद हुई तथा आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि 90,000 सोमवार को देने के लिए कहा गया है। परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा को सोमवार दिनांक 13.6.2022 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित समय 08 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर रवाना किया गया। डिजीट वॉईस रिकार्डर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

चूंकि ट्रेप कार्यवाही का आयोजन सोमवार दिनांक 1306.2022 को प्रातः 08 बजे ही किया जाना है एवं प्रातः ही स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध होने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए दो स्वतंत्र गवाहान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधीक्षक एसबीएस अस्पताल कोटा के नाम तहरीर श्री रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक के मार्फत भिजवाई जाकर श्री सचिन मेहता नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री मुकुट बिहारी नर्सिंग ऑफिसर को दिनांक 13.06.2022 को समय 08:00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया।

दिनांक 13.06..2022 को समय 08:30 एएम पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम मुकुट बिहारी नागर पुत्र श्री बद्रीलाल नागर जाति नागर उम्र 40 साल निवासी 792, विनोबा भावे नगर, कोटा हाल नर्सिंग ऑफिसर एमबीएस हॉस्पीटल कोटा मोबाईल नम्बर 9660081600 एवं दूसरे ने अपना नाम सचित मेहता पुत्र श्री रामचरण मेहता जाति किराड़ उम्र 33 साल निवासी बी 37, प्रोफेसर कॉलोनी, बोरखेड़ा कोटा हाल नर्सिंग ऑफिसर एमबीएस हॉस्पीटल कोटा मोबाईल नम्बर 8875500165 होना बताया। इसी दौरान परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एसीबी जाप्ता भी उपस्थित आया। कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा का दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुकुट बिहारी नागर एवं श्री सचिन मेहता से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् परिवादी श्री केशव शर्मा से रिश्वत राशि साथ लेकर आने के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि "मुझसे आरोपी श्री शिवा प्रजापति वार्ड पार्षद को रिश्वत में देने के लिए 90,000 रूपये में से 50,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। मैं अभी शिवा प्रजापति को 50,000 रूपये लेने हेतु ही राजी कर लूंगा।" समय 09:00 एएम पर परिवादीगण व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री केशव शर्मा, सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा व आरोपी श्री शिवा प्रजापति वार्ड पार्षद के मध्य तलाव की पाल, स्टेडियम के पास, सुल्तानपुर में दिनांक 09.06.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हुबहु नियमानुसार तैयार करवाई गई। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री केशव शर्मा पुत्र श्री मधुसुधन जाती ब्राहम्ण उम्र 38 साल निवासी सुल्तानपुर जिला कोटा ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये मन् उप पुलिस अधीक्षक को पेश किये। सभी नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चेक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। तत्पश्चात एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर श्री रामगोपाल हैड कानि0 108 से फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे। गवाह श्री सचिन मेहता से परिवादी श्री केशव शर्मा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा स्वयं के मोबाईल के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु इत्यादि नही रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से सीधे ही परिवादी श्री केशव शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन ने देखकर अपरिवर्तित होना स्वीकारा। इस घोल में श्री

रामगोपाल हैड कानि. 108 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, परिवादी श्री केशव शर्मा व गवाहान श्री सचिन मेहता एवं श्री मुकुट बिहारी को समझाया गया कि यदि आरोपी वार्ड पार्षद उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे ही साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि प्राप्त की है। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की क्रिया प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9982469615 पर मिस कॉल कर इशारा करें। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री रामगोपाल हैड कानि. के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री रामगोपाल हैड कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी, दोनों गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबून व साफ पानी से धुलवाये गये। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाकर सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से मुर्तिब की गई। समय 11:02 एएम पर परिवादी श्री केशव शर्मा के मोबाईल नम्बर 9829098877 पर आरोपी श्री शिवा प्रजापति के मोबाईल नम्बर 8562056822 से कॉल आया तथा आरोपी श्री शिवा प्रजापति ने परिवादी से रिश्वत राशि योगी की ई मित्र दुकान, एसबीआई बैंक के साइड में पर देने के लिए कहा गया, परिवादी द्वारा आरोपी को ही मिलने की कहने पर आरोपी द्वारा परिवादी को 2–3 बजे करीब बुलाया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। चूंकि आरोपी श्री शिवा प्रजापति ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर 2–3 बजे बुलाया है। इसलिए मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा पर ही मय परिवादीगण, गवाहान व जाप्ता के इंतजार किया गया। तत्पश्चात् परिवादीगण व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड परिवादी के मोबाईल पर आरोपी श्री शिवा प्रजापति द्वारा उसके मोबाईल से कॉल कर की गई रिश्वत राशि प्राप्त करने सम्बन्धी वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हुबहु नियमानुसार तैयार करवाई गई। समय 01:00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री केशव शर्मा, सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा, श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री दिलींप कुमार कानि. 401, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 को परिवादी की कार डिजायर से आगे आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मुकुट बिहारी नागर, श्री सचिन मेहता, एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123, श्री बबलेश कानि. 261 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु प्राईवेट वाहन इनोवा से कार्यालय हाजा से कस्बा सुल्तानपुर हेतु रवाना हुआ। श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को कार्यालय में ही रहने के निर्देश देकर कार्यालय में छोड़ा गया। समय 02:05 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, सहपरिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के साथ लाये वाहनों से सुल्तानपुर से पूर्व गोपनीय स्थान पर पहुंचा। परिवादी के मोबाईल नम्बर 9829098877 पर आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति के मोबाईल नम्बर 8562056822 से कॉल आया, जिसे रिसीव करने पर आरोपी द्वारा परिवादी को पेट्रोल पम्प के पास जोन डियर कम्पनी के ट्रेक्टर सर्विस सेन्टर पर बुलाया गया किन्तु परिवादी द्वारा आरोपी को उसके मिलने वाले की जूस की दुकान पर आने को कहा गया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। **समय 02:15 पीएम पर** परिवादी श्री केशव शर्मा को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर मय सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा के परिवादी के मिलने वाले जूस एवं बेकरी दुकान श्रीकृष्णा बेकरी पर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कृषि उपजमण्डी के सामने स्थित श्रीकृष्णा बेकरी दुकान के आस पास ट्रेप जाल बिछाया तथा मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के परिवादी के निर्धारित ईशारे की

प्रतीक्षा में मुकिम हुआ। समय 02:40 पीएम पर सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा ने कोटा सुल्तानपुर रोड़ पर कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित दुकान श्रीकृष्णा बेकरी के दरवाजे के पास आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का पुर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के तुरन्त परिवादी श्री केशव शर्मा के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री केशव शर्मा ने दुकान के अन्दर बनी केबिन में बैठे एक व्यक्ति जिसने पीले रंग की नेकलेस टी–शर्ट व काला रंग का पायजामा पहना हुआ है, की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही पार्षद शिवा प्रजापति है, जिसने मुझसे मेरे ठेके के कार्यों को करने देने एवं परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी तथा मुझसे अभी 50,000 रूपये अपने हाथ में लेकर बैंच पर बैठे हुये ने स्वयं के बायें पैर के पास बैंच पर रखे हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व व टीम का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत करवाते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापति जाति कुम्हार उम्र 27 साल निवासी झोटोली रोड़, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा हाल पार्षद वार्ड संख्या 01, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर, कोटा होना बताया। श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति से परिवादी श्री केशव शर्मा से ली गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये के बारे में पूछा तो शिवा प्रजापति पार्षद ने बताया कि "केशव शर्मा ने मुझे फोन करके यहां दुकान पर बुलाया था। हम केबिन में बैठकर चाय पानी बात की। फिर मुझे एक पांच पांच सौ रूपये के नोटों की गड्डी देकर कहा कि प्रजापति जी इन नोटों को गिनो, तो मैनें नोटों को नहीं गिनकर अपने हाथ में लेकर मेरे बायें पेर के पास बेंच पर रख दिये। नोटों की गड्डी अभी भी बेंच पर ही रखी हुई है, मैनें केशव शर्मा से कोई रिश्वत नहीं ली है।" इस पर परिवादी श्री केशव शर्मा ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि "मैं नगर पालिका सुल्तानपुर में ठेकेंदारी का काम करता हूँ। सुल्तानपुर में शमशान रोड़ व खाड़ी का सेफ्टी वाल का निर्माण कार्य श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ठेकेदार के नाम पर है किन्तु इन कार्यों को मैं ही करवा रहा हूँ। शमशान रोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है, नाला व सेफ्टी वाल का काम चल रहा है, मेरे शमशान रोड़ के काम में एक पैसा भी नहीं बचा लेकिन शेष कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने एवं परेशान नहीं करने की एवज में इन्होने मेरे से एक लाख रूपये की मांग की थी, मेरे निवेदन करने पर दस हजार रूपये कम कर नब्बे हजार रूपये लेने हेतु दिनांक 09.06.2022 को इन्होने मेरे से कहा थां एवं आज सोमवार को पैसे देने हेतु कहा इसलिए ही मैने व्यवस्था करके पहली किश्त के रूप में 50,000 रूपये इनको अभी अभी बतौर रिश्वत दिये जो इन्होने अपने हाथ में लेकर अपने पास बेंच पर रखे हैं। शेष 40,000 रूपये दो तीन दिन में देने की बात हुई है। रिश्वत लेनदेन के वक्त हुई वार्ता में भी इनको दी गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये को गिनने हेतु कहने पर इन्होने कहा कि आपने गिन लिया ना फिर क्या गिनना।" चूंकि आरोपी ने परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 50,000 रूपये अपने हाथ में लेकर बेंच पर बायें पेर के पास रखना स्वीकार किया है, इसलिए उक्त रिश्वत राशि 500–500 रूपये के नोटों की गड्डी को गवाह श्री सचिन मेहता से उठवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। उक्त स्थान श्रीकृष्णा बेकरी की दुकान आम रोड़ पर होने तथा आरोपी वार्ड पार्षद होने से कानून व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुये कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका होने से उपयुक्त स्थान थाना सुल्तानपुर पहुंचने हेतु आरोपी श्री शिवा प्रजापति का दाहिना हाथ श्री अभिषेक कानि. 197 एवं बायां हाथ श्री बबलेश कानि. 261 से कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर आरोपी को प्राईवेट वाहन इनोवा के मध्य वाली सीट पर मध्य में बिठाया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता व गवाहान रवाना हुआ। परिवादीगण को उनके वाहन डिजायर कार से थाना सुल्तानपुर पीछे पीछे आने हेतु कहा गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी के दोनों हाथों को कलाई के उपर से पकड़वाये हुये मय टीम व परिवादीगण के थाना सुल्तानपुर पहुंचा। थाना सुल्तानपुर में थाना एसएचओ श्री सन्दीप बिश्नोई से उनके कक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सहमति चाही गई तो एसएचओ थाना सुल्तानपुर द्वारा उनके कक्ष में ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हाथ धुलाई हेतु सहमति दी गई। जिस पर आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा को उसके दोनों हाथ पकड़वाये हुये को तसल्ली देकर एक कुर्सी पर बिठाया गया। गवाह श्री सचिन मेहता के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि के नोटों को गवाह से गिनवाया गया तो गवाह श्री सचिन मेहता द्वारा उक्त नोटों को गिनकर 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना बताया गया। तत्पश्चात् दूसरे गवाह श्री मुकुट बिहारी को कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो हुबहु रिश्वती नोट होना पाया गया। बरामदशुदा भारतीय मुद्रा की रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :–

S.NO.	नोट का प्रकार	नोट कमांक
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1MK 465666
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8KC 972153
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7AM 892226
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0PM 024084
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5UL 529667
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4CL 647469
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4WN 379681
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5TS 019399
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7DH 186181
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3NF 244980
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2VV 932379
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1HR 995037
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4WN 383632
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6MQ 834292
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1HP 111653
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1VC 314641
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7AB 459359
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7WN 064985
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2WP 923984
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1FN 319576
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4HA 101512
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8WP 320751
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2DC 897655
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3TD 376337
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9KN 994959
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7GG 025436
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3CV 736189
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2WP 045321
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6EU 277720
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4CB 187814
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9HV 733047
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5MR 276605
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0CH 809008
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6QR 043351
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3FE 180063
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8BV 119137
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3VF 324772
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5DA 471971
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4AK 936211
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7FT 404962
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4AM 542066
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7UE 424977
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2FT 306332
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4LC 728851
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0DK 407117
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0HR 252398
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8EW 132024
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8EM 114990
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9LC 698773

50.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2DQ 541749
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4ET 144197
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4PH 538997
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3ES 849985
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2TF 096494
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3ND 332070
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8ND 644164
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4PL 538461
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4EE 143683
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4DR 307397
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4DR 307398
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4DR 307399
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2FE 298938
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8EM 962538
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4DR 307400
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0WP 071461
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8MQ 447030
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2UD 866026
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2FE 144563
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8WU 183341
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9FU 837236
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6LF 120462
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DH 331289
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2HC 332043
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7CM 486413
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7NS 648918
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0QM 548975
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8MW 592104
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0TE 379476
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8GH 660231
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8KV 831490
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0NF 362173
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3FG 034731
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3FG 034732
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0GR 585063
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1MV 922349
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0GR 585064
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2MM 890665
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5ME 120999
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2ED 942461
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2PR 935582
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5FS 877768
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	5CM 958489
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	8RN 977146
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9BW 572762
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6PT 147972
96.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7NS 592954
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4EM 840553
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	4FH 106486
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3DS 281354
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	7NQ 633119

उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति वार्ड पार्षद के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु थाना सुल्तानपुर में रखे पानी के केम्पर में से एक साफ बोतल में पानी भरवाकर मंगवाया गया। दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाया जाकर दोनों गिलासों में सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक–एक चम्मच पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा पार्षद के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का बिल्कुल हल्का गुलाबी मटमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः RH-1, RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी मटमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः LH-1 LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति द्वारा स्वयं के मोबाईल से परिवादी श्री केशव शर्मा से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताऐं की गई है। इसलिए आरोपी के मोबाईल टच स्क्रीन वीवो कम्पनी काला मेहरून कलर, मॉडल नम्बर vivo 1901, IMEI 1. no. 862745045003677, IMEI 2. no. 862745045003669, सिम कॉलिंग नम्बर 1. 9166053217, सिम कॉलिंग 2. 8562056822 को कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति को उसकी आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाये जाने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया तो आरोपी द्वारा मूल नोटिस पर ही स्वयं के हस्तलेख से स्वेच्छा से आवाज का नमूना देने से मना किया गया। नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद, वार्ड संख्या 1, नगर पालिका सुल्तानुपर के विरूद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया गया। समय 05:28 पीएम पर नगर पालिका सुल्तानुपर ई.ओ. श्री जितेन्द्र सिंह को उनके मोबाईल नम्बर 9460814789 पर कॉल कर परिवादी के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध करवाने बाबत् सम्पर्क किया गया तो श्री जितेन्द्र सिंह ने स्वयं को मिटींग में कोटा होना बताया तथा अन्य कोई सक्षम अधिकारी भी नगर पालिका सुल्तानपुर में उपस्थित नहीं होना बताते हुये रिकार्ड कल दिनांक 14.06.2022 को उपलब्ध करवाने हेतु कहा। रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावेगा। तत्पश्चात् परिवादी श्री केशव शर्मा के मोबाईल नम्बर 9829098877 पर आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति के मोबाईल नम्बर 8562056822 से समय 02:05 पीएम पर हुई वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता द्वितीय हुबहु नियमानुसार तैयार करवाई गई। इसी प्रकार परिवादी श्री केशव शर्मा, सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा एवं आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड है, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादीगण व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता हुबहु नियमानुसार तैयार करवाई गई। इसके उपरान्त आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा की एसीबी जाप्ता की निगरानी मे थाने पर ही छोड़कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री केशव शर्मा, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं श्री किशनलाल उप निरीक्षक के प्राईवेट वाहन से नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु घटनास्थल श्रीकृष्णा बेकरी एवं जूस सेन्टर सुल्तानपुर हेतु रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री केशव शर्मा की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल की फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के घटनास्थल से रवाना होकर थाना सुल्तानपुर पहुंचा। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में सेव की गई (1) रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (2) मोबाइल वार्ता (3) मोबाइल वार्ता द्वितीय (4) वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता, उक्त चारों वार्ताओं की कार्यालय के लेपटॉप से श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा 04सी0डी0 डब करवाई गई तथा दो पेन ड्राईव में सेव करवाया गया। प्रथम सी.डी. व एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय सीडी व

द्वितीय पेन ड्राईव आरोपी के लिए एवं तृतीय सी.डी. आरोपी की आवाज नमूना के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अलग–अलग कपड़े की थैलीयों में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। फर्द डबिंग वार्ता व जब्ती सी.डी. पृथक से मुर्तिब की गई। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् परिवादी श्री केशव शर्मा व सहपरिवादी श्री विनीत शर्मा को उनकी इच्छानुसार उनके निवास हेतु रूखसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता मय वाहन मय जब्तशुदा रिश्वत राशि 50,000 रूपये का लिफाफा, धोवन की शील्डशुदा 04 शीशीयों, आरोपी का मोबाईल जब्तशुदा, डबशुदा 02 सी.डी. मय 02 पेन ड्राईव की शील्डशुदा पृथक–पृथक 02 कपड़े की थेलियां, 01 शील्डशुदा सी.डी. की कपड़े की थैली व 01 अनीशील्ड सी.डी. मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के थाना सुल्तानपुर से रवाना होकर समय 10:35 पीएम पर कार्यालय हाजा वापस आया। समस्त जब्तशुदा व बरामदशुदा माल/रिकार्ड मालखाना प्रभारी श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को सम्भलाये जाकर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद, वार्ड नम्बर 01 श्रीराम नगर, नगर पालिका सुल्तानपुर, जिला कोटा द्वारा परिवादी श्री केशव शर्मा से परिवादी द्वारा नगर पालिका परिक्षैत्र सुल्तानपुर में करवाये जा रहे शमशान रोड़ व खाड़ी का सेफ्टी वाल आदि निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से करने देने, परेशान नहीं करने एवं बिल नहीं अटकवाने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना, दिनांक 09.06.2022 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये की रिश्वत मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर दस हजार रूपये कम कर 90,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होना, रिश्वत राशि सोमवार दिनांक 13.06.2022 को देने हेतु कहना, दिनांक 13.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री केशव शर्मा से आरोपी को रिश्वत में दिये जाने हेतु 50,000 की ही व्यवस्था हो पाने से आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति को प्रथम किश्त के रूप में परिवादी श्री केशव शर्मा से 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि 50,000 रूपये आरोपी के बैठे हुये स्थान बेंच से उसके बायें पेर के पास से आरोपी के कब्जे से बरामद होना, आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद के दाहिने व बायें हाथ के धोवन का रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी मटमेला प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद वार्ड संख्या 01 श्रीराम नगर, नगर पालिका सुल्तानपुर, कोटा के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया। अतः आरोपी श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापति जाति कुम्हार उम्र 27 साल निवासी झोटोली रोड़, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा हाल पार्षद वार्ड संख्या 01 श्रीराम नगर, नगर पालिका सुल्तानपुर, कोटा के विरूद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(धर्मवीर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट., कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री शिवराज उर्फ शिवा प्रजापति, पार्षद, वार्ड संख्या 01, श्रीराम नगर, नगर पालिका सुल्तानपुर, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 236/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 2080-84 दिनांक 14.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

14.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।